रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 836] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2005/श्रावण 20, 1927
No. 836] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2005/SRAVANA 20, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2005

का.आ. 1118(अ).—केन्द्र सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री दर्शन सिंह, तत्कालीन मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार के विरुद्ध, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (ङ) के साथ पठित धारा 13(2) के अन्तर्गत अपराधों की जांच के लिए सतर्कता विभाग की दिनांक 22-3-2005 की अधिसूचना सं. वीआईजी-54/96/104 के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार की सहमति से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों के अधिकारों एवं क्षेत्राधिकार को, एतद्द्वारा, सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश राज्य तक विस्तारित करती है।

किसी एक या अधिक उक्त अपराधों तथा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न उसी लेन-देन के दौरान किए गए किसी अन्य अपराध या अपराधों से संबंधित या के बारे में प्रयास, उत्प्रेरण और षड्यंत्र।

[फा. सं. 13/4/96-एमजैड (एनई. II)]

आर. आर. झा, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2005

S.O. 1118(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Arunachal Pradesh *vide* Department of Vigilance Notification No. VIG-54/96/104 dated 22-3-2005, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Arunachal Pradesh for the investigation of offences under Section 13(2) read with Section 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act, 1988 against Shri Darshan Singh, the then Chief Engineer, Department of Power, Government of Arunachal Pradesh.

Attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more of the said offences and any other offence or offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[F. No. 13/4/96-MZ(NE.II)]

R. R. JHA, Director

2398 GI/2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.